बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं०:- 4563231 / पटना, दिनांक :- 04/09/2025

ग्रा०वि०-R-504/39/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-504370)

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज (गोपालगंज) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी-सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में बरती गयी शिथिलता एवं की गई अवज्ञा के आरोप में श्री सिंह के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-32 के अंतर्गत अभियोग चलाने की अनुशंसा मुख्य निवार्चन पदाधिकारी, बिहार, पटना से किया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा की अनुशंसा के आलोक में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुये नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध पत्रांक-2511 दिनांक-10.07.2025 द्वारा किया गया।

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध निर्वाचन विभाग, बिहार से प्राप्त उक्त आरोप की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में बरती गयी शिथिलता एवं उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवज्ञा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के प्रतिकूल एवं गंभीर प्रकृति के हैं।

अतः श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) (क) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल निर्धारित किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ 4.9.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

स्पीड पोस्ट/ ई मेल

ज्ञापांक:- 4563231 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 04/09/2025

प्रतिलिपिः-आयुक्त, सारण प्रमंडल (सारण)/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज एवं सारण/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज एवं सारण/श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज (गोपालगंज) (सम्प्रति मुख्यालयः- मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ 4.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 4563231 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 04/09/2025

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

ह०/ 4.9.25

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-14 (Nelambit).doc